आर.डी.एस.ओ., लखनऊ में ट्रेसरों और ड्राफ्ट्समैनों के मध्य वेतनमानों में असमानता

1208. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के लखनऊ स्थित आर० डी० एस० ओ० कार्यालय में तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में नियुक्त ट्रेसरों तथा ड्राफ्ट्समैनों के भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों के समान होते हुए भी दोनों विभागों में उनके वेतनमानों में असमानता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सहायक श्रम आयुक्त, कानपुर ने अपने दिनांक 21 जून, 1983 के पत्र क्रमांक के-8(II)82सी.ओ.एन.पी.-II के द्वारा इस मामले को पंचाट के फैसले के लिए भेजा था यदि हां, तो क्या इस मामले में कर्मचारियों को किसी निर्णय की सूचना दी गयी है, क्योंकि यह मामला गत पांच वर्षों से लम्बित है ; यदि हां, तो निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर "ना" हो, तो इस मामले में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) : (क) से (ग) आर० डी० एस० ओ० इम्पलाईज एसोसिएशन, लखनऊ द्वारा इस मामले पर उठाये गए औद्योगिक विवाद पर सहायक आयुक्त (के) कानपुर द्वारा संराधन कार्रवाई की गई थी । चूंकि इस मामले में संराधन कार्यवाही असफल रही; उन्होंने अपने तारीख 23-6-82 के पत्र संख्या के-8(ii)/82 कान-ii के तहत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन अपेक्षित था । उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, सरकार ने इस आधार पर मामले को न्यायनिर्णयन हेतु निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया क्योंकि इस मामले में विभागीय तंत्र के अधीन अभी अनेक उपाय उपलब्ध हैं । विवाद के पक्षकारों को 9-11-82 को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया था । इसके पश्चात् एसोसिएशन ने उक्त निर्णय की पुनरीक्षा करने के लिए मंत्रालय को अभ्यावेदन भेजे । रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के परामर्श से इस मामले पर पुनर्विचार करने पर सरकार ने विवाद में उठाई गई मांगों को न्यायनिर्णयन हेतु निर्दिष्ट न करने का निर्णय लिया । पक्षकारों को 16-10-85 को इससे भी अवगत करा दिया गया ।

Allegations against Manager of N.C.C.F.

1209. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES to be pleased to refer to reply given to Unstarred Question 1797 in Rajya Sabha on the 10th March, 1989 and state:

(a) what "Major Penalty" has been awarded to the guilty officer on the advice of Central Vigilance Commission in the matter of large-scale recruitment;

(b) whether the other charges have also been referred to Central Vigilance Commission; and

(c) if so, what is their advice on these matters; if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) On the advice of the Central Vigilance Commission, the NCCF of India Limited have initiated major penalty proceedings against the concerned officer. The proceedings are in progress with Commissioner of Departmental Enquiries of Central Vigilance Commission.